(17)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक एक/निग./शिवपुरी/भू.रा./2017/2573

1– सुदामा पत्नी श्री मथुरा पुत्री बाबूलाल, निवासी – नंदनवारा, तहसील, खनियाधारा, जिला – शिवपुरी (म0प्र0)

2– सुमन पत्नी नंदराम पुत्री स्व0 श्री बाबूलाल, निवासी– खनियाधारा, जिला शिवपुरी (म0प्र0) —— आवेदक

श्री ब्रजेन्द्र सिंह धाकड़ द्वारा आज दि. 05/08/17 को प्रस्तुत

रीडर ऑफ कोर्ट राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

बनाम

1– जमुना प्रसाद ढ़ॉ पुत्र स्व0 श्री बाबूलाल निवासी– खनियाधारा, जिला – शिवपुरी (म0प्र0)

2– साबी पत्नी श्री हीरालाल पुत्री बाबूलाल निवासी – ग्राम पिपरा, तहसील खनियाधारा, जिला – शिवपुरी (म0प्र0)

3– हरकू वैवा श्री बाबूकलाल, निवासी– वार्ड क्रमांक 1, खनियाधारा, जिला – शिवपुरी (म0प्र0)

4– बतीबाई पत्नी मेवालाल पुत्री बाबूलाल, निवासी– ग्राम कंचनपुर, तहसील खनियाधारा, जिला – शिवपुरी (म0प्र0)

—— अनावेदकगण

ब्रजेन्द्र सिंह धाकड़ 05/08/17

निगरानी आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 50 म0प्र0 भू–राजस्व संहिता, 1959 विरूद्ध आदेश दिनांक 19.07.2017 द्वारा पारित श्रीमान् अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर के प्रकरण क्रमांक 38/2016–17 अपील से असंतुष्ट होकर।

माननीय न्यायालय,

आवेदक का निगरानी आवेदन–पत्र निम्न प्रकार पर प्रस्तुत हैः–

निगरानी के संक्षिप्त तथ्यः–

1. यहकि, ग्राम खनियाधारा, की नामान्तरण पंजी क्रमांक 56 पर

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - एक/निगरानी/शिवपुरी/भू.रा./2017/2573

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
05/04/2018	प्रकरण का अवलोकन किया। यह निगरानी अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग ग्वालियर के प्रकरण क्रमांक 38/2016-17/अपील में पारित आदेश दिनांक 19.07.2017 के विरुद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 (जिसे आगे संहिता कहा जाएगा) की धारा-50 के तहत पेश की गई है। 2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि ग्राम खनियाघाना की नामांतरण पंजी क्र. 56 पर दिनांक 01.05.2012 को मृतक भूमिस्वामी बाबूलाल के फौत होने पर उसके स्वामित्व की भूमि खाता क्र. 392, 393 एवं 394 की भूमि पर वारिसानों के आधार पर उभयपक्ष के हक में नामांतरण के आदेश दिए गए। इस कार्यवाही के विरुद्ध अनावेदक क्र. 1 द्वारा अनुविभागीय अधिकारी पिछोर के समक्ष अपील पेश की गई। अनुविभागीय अधिकारी ने अपने आदेश दिनांक 07.10.2016 द्वारा अपील स्वीकार करते हुए अनावेदक क्र. 2 लगायत 4 के हिस्से पर सहमति के आधार पर नामांतरण के आदेश दिए गए। जिसके विरुद्ध अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग ग्वालियर के समक्ष द्वितीय अपील पेश की गई। जो आदेश दिनांक 19.07.2017 द्वारा स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश निरस्त किए गए। अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरुद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में पेश की गई है। 3/ आवेदक अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से यह तर्क दिए गए हैं कि वसीयतनामे में लालचवश अनावेदक क्र. 1 द्वारा फर्जी तरीके से वार्ड क्रमांक 1 में एक दुकान का वसीयतनामें में जिक्र किया गया है। उक्त दुकान दिनांक 10.07.2009 को नगर पंचायत द्वारा लक्ष्मी पत्नी हरिप्रसाद झा को अनुबंध पत्र द्वारा बेचे जाना प्रमाणित है और दिनांक 12.11.2011 को वसीयतनामे में उल्लिखित होना यह प्रमाणित करता है कि उक्त वसीयत फर्जी तरीके से बनाई गई है, जिसमें वसीयत बनाने वाले अनावेदक क्र.	

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	1 को इसकी कतई जानकारी नहीं थी कि उक्त दुकान बाबूलाल के समक्ष विक्रय हो चुकी थी। ऐसी स्थिति में उक्त वसीयत कूटरचित होने के कारण निरस्त किए जाने योग्य है। उनके द्वारा यह भी कहा गया है कि अनावेदक क्र. 1 ने यह उल्लेख नहीं किया है कि वसीयतकर्ता की मृत्यु के उपरांत, वसीयत के आधार नामांतरण क्यों नहीं चाहा गया एवं वसीयत रखे क्यों रहा, इसका प्रमाण अनावेदक क्र. 1 द्वारा नहीं दिया गया है। 4. अनावेदकगण की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह तर्क दिया गया है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश उचित, न्यायिक एवं औचित्यपूर्ण है, जो स्थिर रखे जाने योग्य है। अत: इस न्यायालय में प्रस्तुत निगरानी निरस्त किए जाने का निवेदन किया गया है। 5/ उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं के तर्कों पर विचार किया एवं अभिलेख तथा अनावेदकों की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजों/आदेशों का अवलोकन किया। दस्तावेजों से स्पष्ट होता है कि अपर आयुक्त द्वारा पारित आलोच्य आदेश के परिप्रेक्ष्य में तहसीलदार द्वारा कार्यवाही करते हुए उभयपक्षों को सुनने के पश्चात् आदेश दिनांक 18-12-17 को आदेश पारित किया जा चुका है और उक्त आदेश के विरूद्ध आवेदकों द्वारा प्रस्तुत प्रथम अपील अनुविभागीय अधिकारी द्वारा भी दिनांक 16-2-18 को निरस्त की चुकी है। दर्शित परिस्थिति में यह पाया जाता है कि आवेदकों द्वारा प्रस्तुत यह निगरानी निरर्थक हो गई है। अत: यह निगरानी निरर्थक हो जाने से निरस्त की जाती है। पक्षकार सूचित हों एवं अभिलेख वापिस किया जाये। **(एम.गोपाल रेड्डी)** **प्रशासकीय सदस्य**	